6/11/24

उपावली पेश हुई अपीलार्थी एवं उसके अभिभाषक उपस्थित नहीं अपीलार्थी एवं उसके अभिभाषक को 2-3 बार आवाज लगवायी गयी। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ। न्यायालय समय उपरान्त दोनों पक्षों न्यायालय में पुनः आवाज लगवायी गयी है। लेकिन फिर भी अपीलार्थी एवं उसके अभिभाषक उपस्थित नहीं हुए। विवश अपील अपील खारिज की जाती है। अपीलार्थी को खारिज की जाती है। विवादित आदेश यथावत बहाल रखा जाता है। अपील निस्तारित की जाती है। अपील की अग्रिम तारीख नहीं। नियम अनुसार रिकार्ड पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को वापस भेजा जावे।

113/22

अति. सं. आयुक्त
कोटा